

बिहार सरकार

कृषि विभाग,

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट आवंटन-18/2014-37 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 17-06-2014

Fax/Mail

प्रेषक,

रामजी सिंह,

सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी

पटना/नालदा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/भभुआ/गया/जहानाबाद/अरबल/नवादा/औरंगा
बाद/सारण/सिवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी
/शिवहर/वैशाली /दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगुसराय/मुंगेर/लखीसराय/ शोखपुरा/
जमुई/भागलपुर/बाँका/सहरसा/मधेपुरा/पूर्णिमा/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया
/सुपौल।

विषय:

खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लान्टर, पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरुआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रुपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रुपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राज्य योजना अंतर्गत सामुदायिक नर्सरी योजना के लिए कुल स्वीकृत 959.50 लाख रुपये (नौ करोड़ उनसठ लाख पचास हजार रुपये) में से अनुसूचित जाति के लिए 153.52 लाख रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹1,53,52,000 (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2507 दिनांक-12.06.2014 द्वारा खरीफ 2014 में फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए खरीफ महाभियान के तहत श्री विधि से धान की खेती, संकर धान प्रभेद की खेती, पैडी ट्रांसप्लान्टर, पैडी ड्रम सीडर, धान की सीधी बुआई, गहरे पानी वाले धान का तकनीकी प्रत्यक्षण, मक्का, ज्वार, बाजरा, मरुआ, अरहर की खेती का क्षेत्र विस्तार, धान के सामुदायिक नर्सरी के प्रत्यक्षण, धान रोपनहारों के प्रशिक्षण एवं फसल कटनी/ क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों के लिए 31433.47 लाख रुपये (तीन अरब चौदह करोड़ तैंतीस लाख सैंतालिस हजार रुपये) की स्वीकृति तथा इसके अधीन राज्य योजना अंतर्गत सामुदायिक नर्सरी योजना के लिए कुल स्वीकृत 959.50 लाख रुपये (नौ करोड़ उनसठ लाख पचास हजार रुपये) में से अनुसूचित जाति के लिए 153.52 लाख रुपये (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹1,53,52,000 (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹1,53,52,000 (एक करोड़ तिरपन लाख बावन हजार रुपये) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, राज्य योजना स्कीमकोड-AGR-5022 सी.पी.एस.एम.एस. कोड, विपत्र कोड-P2401007890106 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विषयशीर्ष-2701- लघु कार्य मद में उपबंधित राशि 7.50 करोड़ रुपये से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561वि०(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरंत बाद टी०भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

सुभा

विश्वासभाजन,

(रामजी सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव
कृषि विभाग बिहार, पटना।

